1-5-25

पत्रा. पेश हुयी पत्रावली मे बहस प्रा. पक्ष सुनी जा चुकी है प्रार्थी ने इस आशय का वा प्रा. प. अन्तर्गत धारा 212 RTA प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजी ख.न. 1121 रकबा 0.29 है. वाके ग्राम धनेटा तह. नौगावां जिला अलवर मे वादनी व तरतीबी प्रतिवादीगण का कानूनन हक व हिस्सा व जो महेन्द्र सिंह के जायज वारीसान है तथा असल प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात से कोई संबंध व सरोकार नही है और ना ही वह वादनी के बुजुर्ग मृतक महेन्द्र सिंह पुत्र टहल सिंह के वारिसान है तथा असल प्रतिवादीगण के पिता/बुजुर्ग महेन्द्र सिंह पुत्र टहल सिंह थे जिनका नाम व पिता का नाम वादनी के पिता

लगातार

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | अहलकार हुक्म की जारी हुक्म |
| --- | --- | --- |
| | पिता का नाम वादनी<br>के नाम से पिता का नाम से मिलता जुलता<br>व दादा के नाम से आपस मे<br>के पिता व दादा के प्रतिवादीगण ने<br>का जिस कारण प्रतिवादीगण ने वादनी के पिता व<br>एक रायमशवरा होकर वादनी के होने की आड़ मे<br>दादा के नाम मिलते जुलते होने का एक फर्जी व<br>वादनी के पिता महेन्द्र सिंह का बनवाया जिसमे<br>कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र अंकित करवाते<br>मृत्यु की दिनांक 01.12.1986 महेन्द्र सिंह<br>हुए बनवाया और वादनी के पिता महेन्द्र के<br>के फर्जी वारिसान बनकर पटवारी हल्का के<br>साथ मिलकर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज तैयार<br>करते हुये विरासत का इंतकाल प्रतिवादीगण<br>ने अपने नाम खुलवा लिया। जिसका नामान्तरण सं.<br>794 दिनांक 9.4.2024 को राजस्व रिकार्ड मे<br>अमल हो गया। जबकि वादनी के भाई जरनैल<br>सिंह पुत्र स्व महेन्द्र सिंह ने विरासत का<br>इन्तकाल खुलवाये जाने हेतु पूर्व मे ही प्रा. पत्र<br>पेश किया हुआ था। जिसको महेन्द्र सिंह के<br>असल वारिसान के नाम इन्तकाल न खोलकर असल<br>प्रति. प्रतिवादीगण के नाम खोल दिया। असल<br>एक रायमशवरा है और इन्द्राज आराजी की<br>गलत इन्द्राज की आड़ मे वादनी व तरतीबी<br>प्रति. की आराजी को हड़प करने की नियत से<br>बेचने फिराक मे है जबकि वादनी अपनी<br>बुजुर्ग महेन्द्र सिंह फौत पर काबिज होकर<br>काश्त करती चली आ रही है और काबिज<br>है। जिसको असल प्रतिवादीगण वादनी के<br>साथ झगड़ा फिसाद कर विवादित आराजी<br>से बेदखल करना चाहते है व इन्द्राज आराजी<br>मे से कोई हिस्सा देना नही चाहते है और<br>विवादित आराजी को बेचने की फिराक मे है<br>बाद! नाकेसानी दावा प्रतिवादीगण को जरिये<br>आरआई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।<br>जवाब प्रा. पत्र अस्थाई सं.1 द ला. 7<br>व 1 व 13 ला 16 की ओर से प्रस्तुत किया<br>जिसमे प्रा. पत्र के कथनो का खण्डन किया गया<br>है एवं इस आशय का प्रस्तुत किया है कि<br>वादनी महेन्द्र सिंह की पुत्री नही है बल्कि वादनी<br>के पिता का नाम इन्दर सिंह है। महेन्द्र सिंह<br>लगातार | |

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

| (ता)रीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | कि मृत्यु दिनांक 1-12.86 को हुयी थी ~~नामा~~ नामा नं. 794 दि. 9.4.2024 मृतक महेन्द्र सिंह सही खोला गया है अतः प्रा. पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। | |
| | बहस प्रा. प. सुनी गयी अधि. प्रार्थी ने प्रा. पत्र के कथनों का इआदा करते हुये यह मुख्यतः कथन किया कि मृतक महेन्द्र सिंह के नाम से रजिस्टर्ड भूमि का सनद पट्टा दि. 10.2.2004 को जारी हुआ है जबकि प्रति. द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र पर मृतक के मृत्यु की दिनांक 1-12.86 दर्ज है। इस प्रकार यह मृत्यु प्रमाण पत्र ही गलत है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र पर मृत्यु की दिनांक 8.2.2015 है। जो सनद पट्टा के पश्चात की है। इस प्रकार यह सही है। अधि. अप्रार्थी ने अपने जवाब के कथनों को इआदा किया तथा कथन किया कि प्रस्तुत सनद पट्टा ही फर्जी है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र अन्य राज्य पंजाब का है जो संदेहास्पद है। | |
| | पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधि. पर मनन किया गया। इसके उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मृतक बुजुर्ग का नाम महेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह एक समान रहा है और सम्भवतः इसी के कारण वाद पैदा हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सनद पट्टा की प्रतिलिपि से यह स्पष्ट होता है कि यह सनद पट्टा महेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह के नाम से दिनांक 10.2.2004 को जारी किया गया था जो मृतक के पक्ष में ~~[illegible]~~ जारी किया जाना वस्तुतः सम्भव नहीं है। इससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु प्रमाण जिसमें मृतक महेन्द्र सिंह पुत्र रतन सिंह की मृत्यु की दिनांक 8.2.15 है वह सही है। | |
| | प्रकरण में विवादित आराजी के सम्बन्ध में इसी विवाद को लेकर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज होकर कार्यवाही जेरकार है। इसी प्रकार इस बात की प्रबल सम्भावना है कि वादी व अन्य प्रतिवादीगण के बुजुर्ग पिता व दादा का नाम समान होने से नामान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही में कोई चूक हो जावे। ऐसी स्थिति में ~~आ~~ यह न्यायालय उचित समझता है कि जब | |

[illegible]

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर ... अहकाम ... हुक्म की ... जारी ... |
|---|---|---|
| | तक वाद का अन्तिम निस्तारण नहीं होकर विवादित सम्पत्ति को संरक्षित रखा जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक प्रार्थना पत्र तामील का दावा प्रतिवादीगण को इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख. नं 1121 रकबा 0.24 है. वाके ग्राम धनेटा तह. नौगावां जिला अलवर में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट व मजाहमत न करे व वादी को इस आराजी से जबरन बेदखल न करे व विवादित आराजी को किन्हीं दीगर व्यक्तियों को रहन बैय, हिबा आदि से मुन्तकिल न करे।<br>यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में आज दिनांक 1-4-25 को सुनाया गया।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>रामगढ़ (अलवर) | |